छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक–A एकात्म पथ,सेक्टर–24 अटल नगर, रायपुर (छ0ग0)
ईमेल– secretaryboc@gmail.com, phone No. 0771-2971063

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक   /   /2026

GENS/8490/2026-SECTION - SCHEME / REGISTRATION / GRIEVANCE / LEGAL .... भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में दी गई शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा–शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के धारा–22 (ड) के तहत् छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतद् द्वारा मंडल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए निम्नानुसार ''**अटल कैरियर निर्माण योजना**'' बनाती है :–

1. योजना का नाम :–

   योजना का नाम ''**अटल कैरियर निर्माण योजना**'' होगा।

2. योजना का उद्देश्य :–

   छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की शिक्षा हेतु प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थान में प्रवेश प्राप्त करने के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु गुणवत्तायुक्त निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदाय कर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश हेतु सक्षम बनाया जाकर उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।

3. परिभाषाएं :–

   3.1 **संतान/बच्चों से अभिप्राय** : निर्माण श्रमिक के संतान अथवा दत्तक संतान (विधिमान्य गोद लिये हुए संतान)।

   3.2 **कोचिंग संस्थान** : कोचिंग संस्थान से अभिप्राय योजना के क्रियान्वयन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से चयनित कोचिंग संस्थान से होगा।

   3.3 **निरीक्षण समिति** : निरीक्षण समिति से अभिप्राय योजना की कण्डिका क्रमांक 9.3 में वर्णित समिति से है।

   3.4 **विद्यार्थी** : विद्यार्थी से अभिप्राय अटल कैरियर निर्माण योजना अंतर्गत निःशुल्क कोचिंग हेतु प्रवेश लेने वाले निर्माण श्रमिक के प्रथम 02 जीवित संतान से है।

4. योजना का प्रावधान :–

4.1 मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कक्षा 12 वी में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम दो बच्चों को शैक्षणिक योग्यता अनुरूप स्नातक स्तर की इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कोर्स में शिक्षा हेतु आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु अधिकतम 01 वर्ष तक की अवधि के लिए आवश्यकतानुसार आवासीय/गैर–आवासीय **निःशुल्क कोचिंग** का अवसर प्रदान किया जावेगा।

क्र0	कोर्स का नाम	कोर्स में प्रवेश हेतु परीक्षा का नाम
1	**ENGINEERING**	1. JEE (Joint Entrance Examination) Main/Advanced, 2. CGPET (Chhattisgarh Pre-Engineering Test)
2	**MEDICAL**	1. NEET-UG (National Eligibility- cum- Entrance Test – Undergraduate)

5. योजनांतर्गत देय हितलाभ :–

5.1 योजनांतर्गत कोर्सवार निर्धारित लक्ष्य अनुरूप आवेदन स्वीकृत किया जाकर आवासीय/गैर–आवासीय निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान की जावेगी।

5.2 प्रत्येक संभाग मुख्यालयों में कोचिंग सेंटर का संचालन किया जावेगा।

5.3 **आवासीय निःशुल्क कोचिंगः**–विद्यार्थियों को कोचिंग, अध्ययन सामग्री , छात्रावास तथा भोजन की सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी।

5.4 **गैर–आवासीय निःशुल्क कोचिंगः**–

I. विद्यार्थियों को कोचिंग, अध्ययन सामग्री तथा आवश्यकतानुसार अल्पाहार (अध्ययन दिवस में एक बार) की सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी।

II. कोचिंग सेन्टर में अन्य स्थानों से आने वाले विद्यार्थियों को, जो किराये के आवास (हॉस्टल/पेनगेस्ट) में निवास करते हैं उनके रहने एवं अन्य संबंधी आवश्यकताओं के पूर्ति के उद्देश्य से प्रतिमाह राशि रूपये **5,000/– स्टाईपेंड** डी.बी.टी के माध्यम से दिया जावेगा।

III. विद्यार्थी के किराये के आवास पर निवासरत होने एवं कोचिंग कक्षाओं में 80 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित होने पर ही **स्टाईपेंड** दिया जावेगा। स्टाईपेंड केवल कोचिंग अवधि अथवा अधिकतम 01 वर्ष के लिए जो भी कम हो दिया जावेगा।

IV. कोंचिग संस्थान को विद्यार्थियों से स्टाईपेंड हेतु प्राप्त आवेदन की सूची तैयार कर आवश्यक दस्तावेज सहित संबंधित जिला कार्यालय को प्रस्तुत किया जाना होगा। जिसका नोडल जिला कार्यालय द्वारा परीक्षण कर प्रतिमाह के प्रथम सप्ताह में मंडल मुख्यालय को भुगतान हेतु उपलब्ध कराया जावेगा।

5.5 **अध्ययन सामग्रीः–** विद्यार्थियों को विषय संबंधित समस्त अध्ययन सामग्री (Books, Bag, Notes, Practice Sets, Learning application etc.) की सुविधा उपलब्ध करायी जावेगी।

5.6 विद्यार्थी द्वारा चयनित पाठ्यक्रम हेतु संचालित कोचिंग कक्षाओं में न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी, यदि विद्यार्थी अस्वस्थता अथवा किसी अन्य अपरिहार्य कारण से अनुपस्थित रहता है, तो उसे संबंधित संस्थान प्रमुख के माध्यम से वैध प्रमाण–पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वैध कारण पाए जाने पर, मण्डल/सचिव के निर्णयानुसार न्यूनतम उपस्थिति की शर्त में नियमानुसार शिथिलता प्रदान की जा सकेगी। विद्यार्थी के अस्वस्थ अथवा अनुपस्थिति होने के संबंध में वैद्य कारण प्रस्तुत करने की स्थिति में अवकाश छूट नियमानुसार देय होगा।

6. <u>योजना की पात्रता/हिताधिकारी :–</u>

6.1 मंडल अंतर्गत निर्माण श्रमिक का पंजीयन 01 वर्ष पूर्व का होना अनिवार्य है।

6.2 पंजीकृत श्रमिक संबंधित योजना का लाभ प्रथम दो जीवित संतान हेतु प्राप्त कर सकेगा।

6.3 प्रति संतान हेतु केवल एक बार ही लाभ प्राप्त कर पायेगा।

6.4 पंजीकृत निर्माण श्रमिक के बच्चें कक्षा 12 वी में विज्ञान संकाय के साथ उत्तीर्ण कर चूके हो तथा संबंधित प्रवेश परीक्षाओं हेतु निर्धारित शैक्षणिक न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा रखता/रखती हो, वे ही योजनांतर्गत पात्र होंगे। (संबंधित पाठ्यक्रम हेतु शासन द्वारा प्रावधानित नियमानुसार)

6.5 योजना के अंतर्गत लाभार्थी द्वारा समान पाठ्यक्रम हेतु किसी अन्य विभाग/संस्था द्वारा संचालित योजना के तहत् कोचिंग का लाभ प्राप्त ना किया हो।

6.6 विद्यार्थियों के चयन की न्यूनतम पात्रता में आवश्यकतानुसार सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा निर्धारित किया जा सकेगा।

7. <u>लक्ष्य निर्धारण एवं सीटो का आबंटन</u>:–

7.1 मंडल द्वारा कोचिंग में प्रवेश हेतु प्रति वित्तीय वर्ष हेतु परीक्षावार एंव जिलेवार लक्ष्य का निर्धारण किया जावेगा।

7.2 वित्तीय वर्ष के लिए तय कुल सीटों में से अधिकतम 75% सीटें आवासीय कोचिंग के लिए निर्धारित होगी।

7.3 छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर संशोधित आरक्षण नियमों के आधार पर अधिसूचित वर्गवार आरक्षण नियमों के आधार पर सीटों के आबंटन को प्राथमिकता दिया जावेगा।

7.4 वर्गवार आबंटन सीटो में से 50 प्रतिशत सीटे महिला विद्यार्थीयों हेतु आरक्षित होगी।

7.5 यदि तय लक्ष्य के अनुसार आवासीय/गैर–आवासीय, वर्गवार, जिलेवार एंव महिला/पुरूष वार सीटें खाली रह जाती हैं, तो उपलब्ध आवेदनों के आधार पर सीटें दी जा सकेंगी।

7.6 समान वरीयता के विद्यार्थी उपलब्ध होने के स्थिति में अधिक उम्र वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

8. योजना हेतु आवेदन एवं आवश्यक दस्तावेज :–

8.1 योजनांतर्गत आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किये जायेंगे।

8.2 आवेदन विभागीय वेब साइट, श्रमेव जयते मोबाईल ऐप, लोक सेवा केन्द्र, श्रम संसाधन केन्द्र अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत् कर सकता है।

8.3 योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ हितग्राहियों द्वारा संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :–

i. विद्यार्थी का आधार कार्ड की प्रति।
ii. विद्यार्थी का बारहवी कक्षा में उत्तीर्ण होने की अंकसूची की प्रति।
iii. विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र (सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी)।
iv. ई.डब्ल्यू.एस (EWS) के संबंध सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र।
v. पाठ्यक्रम चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र में विद्यार्थी द्वारा स्व–घोषणा प्रमाण पत्र।

टीप :– ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

8.4 स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर जांच/सत्यापन हेतु सभी मूल दस्तावेज हितग्राही द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा।

9. योजनांतर्गत आवेदन एवं विद्यार्थियों की चयन प्रक्रिया :–

9.1 विद्यार्थियों द्वारा निम्नानुसार दिये गये समयावधि में आवेदन किया जावेगा–

आवेदन प्राप्ति	विद्यार्थियों का चयन	अन्य
मई– जून	जून	प्रथम चरण का चयन
जुलाई – अगस्त	अगस्त	आवश्यकता अनुसार द्वितीय चरण का चयन

9.2 जिले द्वारा पात्र विद्यार्थियों के कक्षा 12 वी में प्राप्तांक एवं आबंटित लक्ष्य संख्या के 1.5 गुना जिले स्तर की प्रावीण्य सूची तैयार कर मंडल कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

9.3 मंडल द्वारा जिलों से प्राप्त प्रावीण्य सूची के आधार पर कंडिका–7 में निर्धारित प्रावधान अनुसार राज्य स्तरीय समिति द्वारा संभाग/राज्य स्तरीय प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

9.4 संभाग/राज्य स्तरीय प्रावीण्य सूची तैयार किये जाने हेतु आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों की काउंसिलिंग की जा सकेगी।

टीप :– अधिसूचना में उल्लेखित आवेदन समय सारणी/तिथियों के संबंध में मंडल द्वारा पृथक से सूचना जारी किया जा सकेगा।

10. योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन किये जाने हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया जावेगा–

10.1 कोचिंग संस्थान का चयन एवं विद्यार्थियों के चयन हेतु राज्य स्तरीय चयन समिति के सदस्य –

- **i.** सचिव, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि।
- **ii.** उप–श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय (श्रमायुक्त द्वारा नामांकित)।
- **iii.** लेखाधिकारी, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल।
- **iv.** संचालक, स्कूल शिक्षा विभाग, छ0ग0 शासन अथवा उनके नामांकित प्रतिनिधि।
- **v.** सहायक श्रमायुक्त, जिला–रायपुर।
- **vi.** संचालक, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, छ0ग0 शासन अथवा उनके प्रतिनिधि।
- **vii.** श्रम पदाधिकारी, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल।

10.2 **चयनित संस्थान के सतत् निगरानी** – जिला श्रम कार्यालय प्रमुख (सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक) द्वारा मासिक निरीक्षण किया जावेगा तथा मंडल द्वारा गठित समिति द्वारा आवश्यकता अनुसार समय–समय पर निरीक्षण किया जावेगा।

11. संस्थान के चयन एवं अनुबंध की प्रक्रिया :–

- i. मंडल द्वारा रूचि की अभिव्यक्ति/निविदा के माध्यम से कोचिंग संस्थानों (एजेंसी) का चयन कर संस्था को अनुबंधित किया जावेगा।
- ii. कोचिंग संस्थान के चयन हेतु गठित समिति द्वारा प्राप्त प्रस्तावों पर आवश्यकतानुसार कोचिंग संस्थानों का स्थल निरीक्षण किया जा सकेगा।
- iii. समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के आधार पर चयनित कोचिंग संस्थान का मण्डल द्वारा संबधित पाठ्यक्रम के लिए चयन संभागवार/जिलावार किया जाकर 03 वर्ष के सेवा अवधि हेतु अनुबंधित किया जावेगा। तत्पश्चात् कोचिंग संस्थान के प्रदर्शन के आधार पर आवश्यकता अनुसार अनुबंध अवधि में अधिकतम 01 वर्ष तक की वृद्धि दो बार तक की जा सकेगी।

12. चयनित संस्था का दायित्व :–

12.1 योजना से संबंधित जानकारी का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना होगा, जिससे कि अधिक से अधिक श्रमिकों द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।

12.2 संबंधित संस्थान को कार्य आदेश के साथ विद्यार्थियों की सूची प्राप्त होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर पाठ्यक्रमवार बैच प्रारंभ किया जाना अनिवार्य होगा।

12.3 चयनित कोचिंग संस्था द्वारा राज्य के संभाग मुख्यालयों में कोचिंग सेंटर का अनिवार्यतः संचालन करना होगा। मंडल की अनुमति से आवश्यकता अनुसार अन्य जिला मुख्यालयों में भी कोचिंग सेंटर का संचालन करना होगा।

12.4 संस्था द्वारा कोचिंग हेतु बैच बनाये जाने के पूर्व विद्यार्थियों का कॉन्सलिंग किया जावेगा।

12.5 प्रवेशित बच्चों का प्रतिदिन डिजिटल उपस्थिति/बायोमैट्रिक का संधारण करना अनिवार्य होगा।

12.6 प्रवेशित बच्चों को आवश्यकता अनुसार आधारभूत सुविधायुक्त क्लास रूम, (जैसे–फर्नीचर, एल.ई.डी स्क्रीन, इंटरनेट एवं कम्प्यूटर, पीने का पानी, इत्यादि) पाठ्यक्रम अनुरूप अध्ययन सामग्री हार्ड कॉपी तथा सॉफ्ट कॉपी, लाइब्रेरी, सुव्यवास्थित एवं स्वच्छ हॉस्टल, भोजनालय (पौष्टिक एंव गुणवत्तायुक्त भोजन) इत्यादि उपलब्ध कराना होगा।

12.7 प्रवेशित गैर–आवासीय बच्चों को अध्यापन अवधि में आवश्यकतानुसार प्रतिदिन एक बार का भोजन/नास्ता उपलब्ध कराना होगा।

12.8 योजना से लाभांवित होने वाले विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम से संबंधित होने वाली विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं में सम्मिलित कराने का दायित्व संस्था का होगा।

12.9 संस्था का यह दायित्व होगा कि विद्यार्थियों का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए पाक्षिक अथवा मासिक टेस्ट का आयोजन करें।

12.10 पाठ्यक्रम से संबंधित प्रत्येक विषय हेतु विषय विशेषज्ञों/शिक्षकों की प्रशिक्षण सत्रों में उपस्थिति अनिवार्य होगी।

12.11 **आवासीय सुविधाओं हेतु विशेष शर्ते** :– संस्था द्वारा विद्यार्थियों को आवासीय संबंधी निम्नानुसार सुविधा अनिवार्यतः उपलब्ध कराना होगा –

i. छात्रावास (हॉस्टल) सुविधा –

- बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक मूलभूत सुविधायुक्त छात्रावास, प्रति विद्यार्थी हेतु बिस्तर, गद्दे, अलमारी एवं अध्ययन टेबल की व्यवस्था, तथा 24×7 जल एवं विद्युत आपूर्ति तथा विद्युत बैक–अप की सुविधा।

ii. भोजन एवं मेस सुविधा –

- प्रतिदिन कम से कम तीन समय पौष्टिक, संतुलित एवं स्वच्छ भोजन, स्वच्छ भोजनालय एवं बैठने की उचित व्यवस्था, सुरक्षित पेयजल (आरओ/फ़िल्टर युक्त) की उपलब्धता।

iii. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

- परिसर में प्राथमिक उपचार (फर्स्ट–एड) की सुविधा, आपात स्थिति हेतु निकटतम अस्पताल/चिकित्सालय से समन्वय, छात्रावास एवं सामान्य क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी की उपलब्धता।

iv. अनुशासन एवं पर्यवेक्षण

- छात्रावास में वार्डन एवं सुरक्षागार्ड की नियुक्ति (बालक एवं बालिका हेतु पृथक), कक्षा एवं छात्रावास उपस्थिति की नियमित निगरानी की उपलब्धता।

12.12 संस्था द्वारा स्टाईपेंड हेतु विद्यार्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त कर विद्यार्थियों की सूची आवश्यक दस्तावेज सहित संबंधित जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा।

12.13 शिक्षण की भाषा आवश्यकता अनुरूप हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम होगी।

12.14 कोचिंग संस्थान द्वारा चयनित विद्यार्थियों की जानकारी, बैच की जानकारी, प्रतिदिन उपस्थिति एवं मूल्यांकन (टेस्ट) की जानकारी, मण्डल द्वारा बनाये गये मोबाईल एप्प/पोर्टल आदि में निर्धारित प्रारूप में नियमित रूप से अपलोड करना अनिवार्य होगा।

12.15 प्रवेशित विद्यार्थियों के फीडबैक एवं निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन अनुसार शिक्षक का अध्यापन/कार्य/व्यवहार संतोषजनक नहीं पाए जाने की स्थिति में मण्डल के निर्देशानुसार संबंधित शिक्षक को 07 दिवस में सुधार/परिवर्तित करना होगा।

12.16 संबंधित संस्थान को इंजीनियरिंग/मेडिकल संकायों में प्रवेशित विद्यार्थियों के चयन होने तक प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु सहयोग करना होगा।

12.17 योजना के क्रियान्वयन संबंधी रूचि की अभिव्यक्ति, अनुबंध एवं अधिसूचना में उल्लेखित शर्तें संस्था पर प्रभावी होगी।

13. **भुगतान की प्रक्रिया** :-

चयनित कोचिंग संस्थान को जिला श्रम कार्यालय से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अनुबंध में निर्धारित शर्तों के आधार पर भुगतान ''छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल'' द्वारा किया जावेगा।

14. **योजना आवेदन स्वीकृति का अधिकार** :-

संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी।

15. **योजना संबंधित शिकायत एवं समाधान** :-

योजना संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत के संबंध में संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय द्वारा 30 दिवस के भीतर समाधान किया जावेगा।

16. **योजना के अंतर्गत विसंगति का निराकरण** :-

योजना के क्रियान्वयन में यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है तो इस संबंध में सचिव,छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम होगा।

17. **योजना का विस्तार क्षेत्र** :-

यह योजना अधिसूचना जारी दिनांक से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी।

(छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा अनुमोदित)

Digitally signed by
Gireesh Kumar Ramteke
Date: 12-05-2026
13:21:01

(गिरीश रामटेके)
सचिव
छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण
कर्मकार कल्याण मंडल, नवा रायपुर

GENS/8490/2026-SECTION - SCHEME / REGISTRATION / GRIEVANCE / LEGAL अटल नगर, नवा रायपुर दिनांक

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
2. विशेष सहायक, माननीय श्रम मंत्रीजी छ0ग0 शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
4. निज सहायक, माननीय अध्यक्ष, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल (श्रम विभाग) ऑफिस कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, ब्लाक–A, एकात्म पथ सेक्टर–24, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
5. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, इन्द्रावती भवन, व्दितीय तल, खण्ड–03 नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)।
6. प्रभारी अधिकारी, छ0ग0 असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल इन्द्रावती भवन, व्दितीय तल, खण्ड–03 नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
7. कल्याण आयुक्त, छ0ग0 श्रम कल्याण मंडल, प्रवीण भवन 31/520, न्यू शांति नगर, रायपुर (छ0ग0)।
8. संचालक, संचालनालय, कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0)।
9. संचालक, संचालनालय, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इन्द्रावती भवन, अटल नगर (छ0ग0)।
10. समस्त जिला कलेक्टर, ...(छ0ग0)।
11. समस्त सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी कार्यालय .... (छ0ग0)
12. समस्त उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यालय ....(छ0ग0)।
13. संचालक, जनसंपर्क विभाग, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उपरोक्त अधिसूचना जन सामान्य के सूचनार्थ समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
14. लेखा शाखा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर, (छ0ग0)।
15. एन0आई0सी0 शाखा, छ0ग0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल नवा रायपुर, अटल नगर (छ0ग0) की ओर **तत्काल** वेब साईट में अपलोड करने बाबत्।
16. गार्ड फाईल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संप्रेषित्।

सही/–

सचिव

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण मंडल, अटल नगर